

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

प्रकरण सं०

अनवान

बनाम

Continuation Note Sheet

14-8-25 कारीबुस मूल वाद में याचिका पत्र
 प्रस्तुत करने पर मजदूरी पत्र में
 मीठवादी वादीना द्वारा मूल वाद में याचिका
 पत्र प्रस्तुत कर मूल वाद को खारिज
 किया जा चुका है मूल वाद को खारिज
 होने से इन याचिका का कोई अर्थियता
 शेष नहीं रहता है। अतः इन याचिका
 को भी खारिज किया जाता है मजदूरी
 पत्रों को भी अलग अलग खारिज
 किया जा रहा है।

